दी चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर
परिवारों को सहयोग देना ताकि वे अपने बच्चों के लिये उचित व्यवस्था कर सकें

The Children and Family Reporter
Helping families make arrangements for their children

(Hindi)

केफ़कास (CAFCASS) क्या है?

दी चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली-कोर्ट एडवाइज़री ऐंड सपोर्ट-सर्विस (CAFCASS), यानी बच्चों एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विषयों पर न्यायालय को सहयोग और प्रामर्श देने वाली सेवा उन बच्चों के हितों का संरक्षण [1] करती है जो पारिवारिक मामलों से संबंधित कोर्ट कार्रवाई में शामिल हैं, और उनके कल्याण को प्रोन्नत करती है। हम बच्चों और परिवारों के सहयोग से अपना कार्य करते और यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों की बात सुनी जाए और उनकी आवश्यक्ताएं पूरी की जाएं।

हम न्यायाल्यों को सुझाव देते हैं, ताकि वहां लिये जाने वाले निर्णयों में बच्चों के हित में हों। हम एक स्वतंत्र संस्था हैं। हम कोर्टस, सोशल-सर्विसेज़ [2] ,शिक्षा या स्वास्थ्य विभाग, और इसी तरह की अन्य ऐजेंसियों के अधीन नहीं हैं। हम केवल फ़ैमिली कोर्टस के लिये कार्य करते हैं। यह कोर्टस, क्रिमिनल कोर्टस यानी आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली कोर्टस नहीं हैं।

[1] दी चिल्ड्रन ऐक्ट के तहत बच्चों के लिये काम करने वाली उन संस्थानों और ऐजेंसियों पर यह दायित्व है कि वे बच्चों के हितों का संरक्षण करने और उनके ममालों को प्रोन्नत करने की व्यवस्था करें। विशेष कर यह व्यवस्था करें कि बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहें, आनंदमय जीवन बिताएं एवं उपलबधियां हासिल करें, सकारात्मक योगदान दें, और उनकी आर्थिक परिस्थिति कुशल रहे।

[2] इस पुस्तिका में सोशल-सर्विसेज़ का मतलब वह काम है जो लोकल-एथॉरिटी सामाजिक कार्य अनजाम देने के लिये करती हैं, विशेषतः से बच्चों की देखभाल का काम।

चिल्ड्रन फ़ैमिली रिपोर्टर क्या होते हैं और वे क्या करते हैं?

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर, सोशलवर्क में योग्यताप्राप्त व्यक्ति होते हैं जो तथा बच्चों और पारिवारों के साथ कार्य करने में प्रशिक्षित और अनुभवी होते हैं। अधिकांश न्यायाल्यों में उन्हें नियुक्त किया जाता है, ताकि बच्चों के लिये उचित व्यवस्था करने में वे परिवार के सदस्यों की सहायता कर सकें। यदि परिवार किसी हल पर सहमत न हो सके तो चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर से निम्नलखित के लिये आग्रह किया जा सकता हैः

- कि परिवार के सहयोग से शेष समस्याओं को हल करने के लिये वे कार्य करते रहे, और/या
- पूछताछ करें, और कोर्ट के लिये एक रिपोर्ट तैयार करें।

फ़र्स्ट डायरेक्शंस हियरिंग (आगे केस कैसे चलेगा, इस बारे में निर्णय लेने के लिये पहली पेशी) पर क्या होता है?

फ़र्स्ट डायरेक्शंस हियरिंग में कोर्ट यह निर्णय लेती है कि बच्चों से संबंधित आवेदन पर आगे किस तरह कार्रवाई की जाएगी। केस के लिये एक समय-सारणी से संबंधित निर्णय लिया जाता है। यह सुनवाई कोर्ट में होती है, और इसमें केस से संबंधित पक्ष, उनके कानूनी सलाहकार और कोर्ट-अधिकारी शामिल होते हैं। अधिकांश कोर्ट्स में एक चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर भी फ़र्स्ट डायरेक्शंस हियरिंग के दौरान मौजूद रहता है। इस पहली सुनवाई पर जिन अन्य मुद्दों पर विचार किया जा सकता है वे निम्नलिखित हो सकते हैं:

- बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कोई से भी विषय
- यह संभावना कि क्या भिन्न पक्ष कोर्ट में केस लड़े बिना आपस में सहमत हो सकते हैं

समझौता कराने के लिये क्या उपाय अपनाए जाते हैं?

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर से कोर्ट यह कह सकती है कि वे केस के दोनों पक्षों से मिल कर यह देखें कि क्या मामला आपस की सहमति से सुलझाया जा सकता है, और क्या मुद्दों पर समझौता हो सकता है। इस प्रक्रिया को डिस्प्यूट-रेज़ूलूशन (विवाद सुलझाने की प्रक्रिया) कहते हैं। प्रस्ताव दिया जा सकता है कि दोनों पक्षो के साथ एक संयुक्त बैठक रखी जाए, परंतु आपको अकेले मीटिंग में जाने का अधिकार है। कभी-कभी आपसे कहा जा सकता है कि अपने बच्चे या बच्चों को भी मीटिंग में लेकर आएं, या उनसे अकेले में बातचीत की व्यवस्था भी की जा सकती है, परंतु यह इसपर निर्भर है कि स्थानीय तौर पर विवाद सुलझाने की कौनसी स्कीम कारगर है, आवेदन किस तरह का है और बच्चे की उम्र कितनी है।

बहुत से केसों में कुछ या सभी विवादों पर इन मीटिंगों के माध्यम से समझौता हो जाता है। तब कोर्ट कुछ समय देकर यह समीक्षा करती है कि क्या पक्ष उस समझौते पर कार्यरत हैं। यदि पक्षों के बीच थोड़े समय में समझौता संभव नहीं है तो चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर यह सुझाव दे सकता है कि कुछ अतिरिक्त मीटिंगें करके मामले को सुलझाया जाए। यह अतिरिक्त मीटिंगें कोर्ट की बजाए हमारे कार्यल्यों में आयोजित की जा सकती हैं।

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर यह सुझाव भी दे सकता है कि दोनों पक्ष मीडियेशन (मध्यस्था) का सहयोग लें। मीडियेशन (मध्यस्था) एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें माता-पिता एक स्वतंत्र व्यक्ति के साथ बैठ कर विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मीडियेशन बैठकें गोपनीय होती हैं, परंतु अगर दोनों पक्ष चाहें तो

सूचना एकदूसरे को दी जा सकती है, या अगर मीडियेटर (मध्यस्थ) की राय में बच्चों के संरक्षण के लिये किसी अन्य ऐजेंसी से पूछताछ की आवश्यक्ता पड़े तो उस ऐजेंसी को भी शामिल किया जा सकता है।

डिस्प्यूट-रेज़ूलूशन (विवाद सुलझाने की प्रक्रिया) और मीडियेशन मीटिंगों द्वारा पक्षों को यह अवसर मिलता है कि वे आपस में बातचीत करके एकदूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इन दो माध्यमों की सहायता से आप यह कोशिश कर सकते/सकती हैं कि बच्चों के हित में सबसे बेहतर क्या रहेगा, न कि कोर्ट आपके मामलों में निर्णय ले।

इन प्रयासों से भी अगर समझौता न हो पाए तो क्या होता है?

इन प्रयासों के बावज़ूद भी अगर सहमति न हो सके तो चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर से कोर्ट सामान्यतः यह कहती है कि मामले पर और ज़्यादा कार्य किया जाए, या पूछताछ करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें बताया जाए कि बच्चों के हित में सब से बेहतर क्या रहेगा। रिपोर्ट में पूछाताछ का सारांश दिया जाता है, और यह बताया जाता है कि भविष्य में मामले का सबसे बेहतर हल क्या हो सकता है। रिपोर्ट तैयार करने के लिये संभव है कि परिवार के साथ अतिरिक्त बैठकें की जाएं। रिपोर्ट तैयार करने में सामान्यतः दस सप्ताह तक लग सकते हैं, परंतु देखा गया है कि इस अंतराल के दौरान भी विवादों पर समझौते हो जाते हैं। तैयार रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट को भेजी जाती है, और एक कॉपी आपके सॉलीसिटर को भी दी जाएगी (यदि आपका सॉलीसिटर है), वरना रिपोर्ट की कॉपी आपको दी जाएगी।

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर किस-किस व्यक्ति से बात करेगा?

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर पहले-पहल आपसे और मामले से जुड़े दूसरे पक्ष से बात करेगा। यदि हिंसा या प्रताड़ित किये जाने की संभावना है तो आपसे अकेले में बातचीत की जाएगी। दोनों पक्षों से एकसाथ तब ही बात की जाएगी जब ऐसा उचित समझा जाए, और दोनों पक्ष इसके लिये सहमत हों। चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर आपके बच्चों से भी मुलाकात करके बातचीत करेगा। बच्चों के हित में क्या बेहतर है इस बारे में निर्णय लेने से पहले कोर्ट यह जानना चाहेगी कि बच्चों की राय क्या है और वे क्या चाहते हैं। चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर का काम कोर्ट को यह भी बताना है कि मामले में बच्चों की भावनाएं क्या हैं।

आपके बच्चों, आप और केस से सुड़े दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के अलावा चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर को कभी-कभी उन लोगों से भी बात करनी होती है जो आपके या बच्चों के बारे में जानकारी दे सकते हों, उदाहरण के लिये डाक्टर, टीचर, हैल्थ-विज़िटर या सोशलवर्कर। चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर आपको बताएगा कि वह किस-किस से बात करेगा, और यदि आवशयक हुआ तो उनसे बात करने के लिये आपकी आज्ञा भी लेगा।

पुलिस और सोशलसर्विसेज़ से सामान्यतः आपके बारे पूछाताछ की जाती है, जिसमें चाइल्ड-प्रोटेक्शन रजिस्टर की पड़ताल करना भी शामिल है, और केफ़कास के पास आपके बारे में जो जानकारी है वह भी हासिल की जाती है।

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर को जो कुछ बताया जाता है क्या वह गोपनीय रखा जाएगा?

चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर को जो भी सूचना मिलती है वह कोर्ट को दी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल की जा सकती है, और अन्य मामलों में भी उस जानकारी को प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये

कभी-कभी यह आवश्यक हो सकता है कि यदि बच्चे के हितों का संरक्षण करना हो तो जानकारी किसी अन्य ऐजेंसी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा, हम अधिकृत हैं कि बच्चों एवं परिवारों हे हित में जो विषय हैं उनपर रीसर्च (अनुसंधान) करें। इसलिये रीसर्च करने के मामलों में कभी-कभी आपके द्वारा दी जाने वाली सूचना आपकी पहचान बताए बिना प्रयोग की जा सकती है।

इस मामले में शामिल दूसरे पेरेंट या व्यस्क से क्या मुझे मिलना पड़ेगा?

यदि आप न चाहें तो नहीं। एक संयुक्त बैठक का प्रस्ताव रखा जा सकता है, परंतु आपको अकेले में चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर से मुलकात करने का अधिकार है।

क्या कोर्ट वही करेगी जो बच्चा चाहता है?

बच्चे की उम्र और समझबूझ के आधार पर कोर्ट बच्चे की आकांक्षाओं और इच्छाओं पर ध्यान देगी, परंतु निर्णय लेते समय यह ज़रूरी नहीं कि कोर्ट वही करे जो बच्चा चाहता है। कोर्ट यह देखेगी कि बच्चे के हित में क्या सबसे बेहतर रहेगा।

क्या कोर्ट वही करेगी जिसके लिये चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर ने सुझाव दिया है?

यह निर्णय तो कोर्ट ही लेती है कि केस में क्या होगा, परंतु जो कुछ चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कोर्ट यदि चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर के सुझावों से असहमत है तो बताएगी कि उसके क्या कारण हैं।

क्या आपकी राय महत्वपूर्ण है?

हमारी सेवाओं और गतिविधियों के बारे में आपकी राय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने और उनको विकसित करने के लिये आपकी टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी सेवाएं प्रयोग करने वाले सब लोग हमें उन सेवाओं के स्तर के बारे में बताएं, वह चाहे बच्चे और नवयुवक हों, माता-पिता हों, सगेसंबंधी हो, न्यायालय या अन्य ऐजेंसियां हों।

यह प्रतिसूचना (फ़ीडबैक) निम्नलिखित के संबंध में हो सकती हैः

- केफ़कास की नीतियों, कार्य-शैली या सेवा के किसी भी अन्य पहलू के बारे में आपकी **टिप्पणी** हो सकती है
- हमारे काम या किसी एक चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर के काम की **प्रशंसा** हो सकती है
- हमारे काम के किसी पहलू से संबंधित **शिकायत** हो सकती है

सभी तरह की टिप्पणियों, प्रशंसाओं और शिकायतों की हम पड़ताल करेंगे, उनकी मॉनीटरिंग और उनपर पुनर्विचार करेंगे, और इस सबके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनको हमारी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा।

अपनी सेवाओं को विकसित करने और अनुसंधान (रीसर्च) के लिये हम आपसे केस समाप्त हो जाने के बाद संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके अनुभवों के बारे में जानकारी ली जा सके।

अपनी टिप्पणियां और अभिवादन हम तक कैसे पहुंचाएं

अपनी टिप्पणियां और अभिवादन हम तक पहुंचाने के लिये चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर से बात करें (बेहतर यह होगा कि लिखित रूप में दें), या अपने स्थानीय केफ़कास मेनेजर को उस पते पर भेजें जो इस पुस्तिका के अंत में दिया गया है। आप चाहें तो अपनी राय इत्यादि हमारे नेशनल-ऑफ़िस को भी इस ई-मेल पते पर भेज सकते/सकती हैं:yourviews@cafcass.gov.uk

आपका केस समाप्त हो जाने के बाद हो सकता है कि हम आपके केस से संबंधित चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर या उसके मेनेजर से प्रतिसूचना (फ़ीडबैक) के लिये एक मीटिंग भी करें।

केफ़कास द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से यदि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो क्या करना चाहिये?

सभी पारिवारिक मामलों में हम सर्वोच्च स्तर की सेवा देने का प्रयत्न करते हैं, और बच्चों का प्रतिनिधित्व ऐसे समय में करते हैं जब्कि उन्हें इसकी सब से ज़्यादा आवश्यक्ता है। इसलिये, हमारे लिये यह जानना अत्यावश्यक है कि हमारी सेवाएं कहां-कहां इन उद्देश्यों के अनुसार नहीं दी जा सकी हैं।

हमारी एक शियाकत प्रणाली है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि शिकायतों पर संभवतः तुरंत, निषपक्ष और प्रभावी रूप से कार्रवाई कैसे की जाए। इस दस्तावेज़ में आगे चलकर शिकायत प्रणाली से परिचय कराया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण सेवाभोक्ताओं के लिये हमारी एक पुस्तिका [3] में किया गया है, जो आपके स्थानीय केफ़कास कार्यालय से मिल सकती है, या हमारी वेबसाइट www.cafcass.gov.uk के इंफ़र्मेशन-सैक्शन से प्राप्त की जा सकती है।

यदि आपको शिकायत करनी हो तो क्या करना चाहिये

सेवा के किसी भी पहलू से यदि आप असंतुष्ट हैं तो जो चिल्ड्रन ऐंड फ़ैमिली रिपोर्टर आपके केस से संबद्ध है सबसे पहले उससे अवश्य बात करें। संभव है कि शिकायत किये बिना ही मामले का समाधान किया जा सके। दूसरा विकल्प यह है कि केस समाप्त हो जाने के बाद एक प्रतिसूचना (फ़ीडबैक) मीटिंग के लिये अनुरोध करें। इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या पिछले अनुच्छेद (पैराग्राफ़) में की गई है।

यदि आप ऐसा न करके शिकायत ही करना चाहें तो जितनी जल्दी संभव हो सके अपने स्थानीय केफ़कास मेनेजर से संपर्क करें।

रिपोर्ट की विषयवस्तु से यदि आप असहमत हैं तो बेहतर यह होगा कि इस मामले को कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठाएं।

हमसे शिकायत करके कोर्ट के निर्णयों को नहीं बदला जा सकता। यदि आप कोर्ट के निर्णय से असहमत हैं तो यदि संभव हो तो उसके अपील के लिये कानूनी सलाह लें।

इस बात का ध्यान रखें कि हमसे शिकायत करने के लिये एक समयाविधि का प्रावधान है। व्यस्कों के लिये यह अवधि घटनाक्रम या मामला घटित होने से तीन महीने है। समयाविधि के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिये कृपाय वह पुस्तिका पढ़ें जिसका शीर्षक है: *Your Views Count* यानी आपकी राय महत्वपूर्ण है

[3] Your Views Count – How to make a comment, compliment or complaint about our work

केफ़कास आपकी शिकायत की रसीद पाँच कार्य-दिवसों में आपको भेजेगी।

बच्चे कभी भी शिकायत कर सकते हैं। कोई बच्चा यदि शिकायत करना चाहे तो संपूर्ण शिकायत-प्रणाली के दौरान बच्चे को एक स्वतंत्र अधिवक्ता (एडवोकेट) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा

हम अन्य ऐजेंसियों के माध्यम से यह पड़ताल करते हैं कि बच्चों को गंभीर रुप से हानिग्रस्त होने की संभवाना तो नहीं है। इसमें ऐसी परिस्थितियां भी शामिल हैं जिनमें बच्चों ने घरेलू उत्पीड़न (डॉमेस्टिक वायलेंस) होता देखा हो। पुलिस, सोशल-सर्विसेज़ और चाइल्ड-प्रोटेक्शन रजिस्टर के माध्यम से सामान्यतः पड़ताल की जाती है। अन्य ऐजेंसियों जैसे जीपी, स्कूल इत्यादि के माध्यम से भी यदि अतिरिक्त पड़ताल की आवश्यक्ता हुई तो हम इस बारे में पहले आपको बताएंगे। यह सूचना कोर्ट के लिये रिपोर्ट तैयार करने में प्रयोग की जाएगी, और संभव है कि सोशल-सर्विसेज़ को भी रिपोर्ट की कॉपी दी जाए।

हम किसी ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें बच्चों, नवयुवकों या उनके अभिभावकों की सुरक्षा को जोखिम का सामना हो।

सांस्कृतिक विविधता

हम बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यक्ताएं पूरी करने को अपना संपूर्ण समर्थन देते हैं, और जिस कम्यूनिटी में वे पले-बढ़े हैं उस कम्यूनिटी के मूल्यों का आदर करते और उनको मान्यता देते हैं। हम अपने सेवाभोक्ताओं की विविध संस्कृतियों से संबंधित जानकारी को मॉनीटर करते हैं और उसका अभिलेखा तैयार करते हैं, उदाहरण के लिये सेवाभोक्ताओं की जातीया (एथनिक ओरिजिन), भाषा और विशेष आवश्यक्ताएं, ताकि बच्चों और परिवारों को दी जाने वाली सेवाओं में निरंतरता से सुधार लाए जा सकें। इस सूचना की सहायता से हम जातीय समानता और सेवाओं तक समान पहुंच के मामलों को भी प्रोंन्नत कर सकते हैं, जैसा कि रेस-रिलेशंस अमैंडमेंट एक्ट (Race Relations Amendment Act) 2000, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन ऐक्ट (Disability Discrimination Act) 1995 और वैल्श-लैंग्वेज एक्ट (Welsh Language Act) 1993 के तहत हम पर दायित्व है।

सूचना

सूचना को समायोजित करना, उसको उपयोग करना और उपलब्ध कराना कानून के अनुसार किया जाता है। इस संदर्भ में हो सकता है कि निम्नलिखित बिंदू आपके लिये प्रासंगिक होंः

- हमारे काम का विषय ही ऐसा है कि हमें अपने सेवाभोक्ताओं से संबंधित निजी जानकारी को समायोजित करना होता है। सभी समायोजन प्रक्रियाएं डेटा-प्रोटेक्शन ऐक्ट (Data Protection Act) 1998 के तहत अनजाम दी जाती हैं। डेटा-प्रोटेक्शन रजिस्टर में हमारी प्रविष्टि (ऐन्ट्री) इस वेबसाइट पर देखी जा सकती हैः www.cafcass.gov.uk
- डेटा-प्रोटेक्शन-ऐक्ट के तहत उस सूचना की कॉपी हमसे मांगी जा सकती है जो आपके बारे में हमने अपने पास रखी है।
- फ़्रीडम-ऑफ़-इनफ़र्मेशन ऐक्ट (Freedom of Information Act) 2000 के तहत आपको सूचना उपलब्ध कराने के लिये हम वचनबद्ध हैं।

डेटा-प्रोटेक्शन-ऐक्ट या फ़्रीडम-अऑफ़-इनफ़र्मेशन ऐक्ट के नियामानुसार हम किस तरह काम करते हैं इसके बारे में और ज़यादा जानकारी के लिये कृपा हमारी वेबसाइट www.cafcass.gov.uk के इंफ़र्मेशन-सैक्शन को विज़िट करें, या अपने स्थानीय केफ़कास कार्यालिय से संपर्क करें।

हमारी वेबसाइट पर हमारी अन्य सभी सेवाओं के बारे में भी और ज़्यादा जानाकरी दी गई है।

V3-05

cafcass